न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–61/2011

–:: अनवान ::–

1.दुर्गादत पुत्री जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर
2.पावर्ती पुत्री जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर

–वादीगण

बनाम

1.जगदीशप्रसाद पुत्र देवकरण जाति ब्राह्मण साकिन 5 बी0के0एम0 धोलिया तहसील सूरतगढ़
2.कालूराम पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर
3.ओमीदेवी पुत्री जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर
4.तहसीलदार सूरतगढ़
5.तहसीलदार पदमपुर
6.तहसीलदार सादुलशहर

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र धारा 88,188,209 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री रामप्रताप तिवाडी. अधिवक्ता वादीगण
2.श्री राकेश सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3.पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 03.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी नं. 1 के नाम से तहसील सादुलशहर के चक 44 एलएलडब्लयू जमाबन्दी सम्वत 2066–69 खाता सं. 18/57(48) प0नं0 28/226 कि0नं0 2/9, 10 ता 17 में 2.087 हैक्टर व प0नं0 28/222 के कि0न0 11–12 की 0.211 हैक्टर कुल 2.298 हैक्टर भूमि अंकित है। जो उन्हे अपने पड़दादा हरिकिशन व दादा जयकिशन पिता देवकरण के फौत होने पर विरास्तन प्राप्त हुई है तथा तहसील पदमपुर के चक 45 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 53/55 प0नं0 30/226 कि0नं0 16,17,24, 25 में 1.012 हैक्टर प0नं0 29/226 कि0नं0 19 ता 24/0.834 हैक्टर व प0नं0 29/227 कि0नं0 1 ता 10,12,15 में 2.897 हैक्टर कुल 4.743 हैक्टर भूमि में से 3.225 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा विरास्तन मिली है जो उनके नाम से रिकार्ड में दर्ज होना शेष मात्र रही है एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 5 बी0के0एम0 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 खाता सं. 10/7 प0नं0 78/36 कि0नं0 1 ता 15/3.720 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है जो पैतृक सम्पति की आय व वादी की आय से प्राप्त की गई खातेदारी भूमि है। वादीगण का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसमें दादा पड़दादा के नाम से भूमि चली आ रही है तथा संयुक्त परिवार में भूमि में पारिवारिक सहमति से वादीगण के पिता व उनके भाईयों को काश्त की सुविधा से अलग–अलग चकों में भूमि अपने हिस्सो के अनुसार प्राप्त हुई है। वादीगण चक 44 एलएलडब्लयू की 2.298 हैक्टर भूमि में 2/5 हिस्सा व चक 45 एलएलडब्लयू की कुल 4.743 हैक्टर भूमि में से 3.225 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा यानि 1.075 हैक्टर सहमति से विभाजन हुआ है, इसका दावा सहायक कलक्टर पदमपुर के यहॉ जैरकार है इससे स्पष्ट है कि चक 45 एलएलडब्लयू की 1.518 हैक्टर नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है, जिसमें वादीगण का 2/5 हिस्सा कानूनन बनता है। चक 5 बीकेएम की 3.720 हैक्टर भूमि में वादीगण का 2/5

हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं. 1 ने तहसील लूनकरणसर के ग्राम रामबाग के ख0नं0 243/128 में 20.00 बीघा भूमि आवंटन करवाई जिसकी पैतृक सम्पति की आय से खातेदारी करवा ली, इसलिये वाद वादीगण डिकी किया जावे।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ने जरिये वकील जवाब प्रस्तुत किया कि मेरे नाम से चक 44 एलएलडब्लयू का 3.225 है0 रकबा विरास्तन दिखाया गया है, वह बेबुनियाद है। वास्तव में चक 44 एलएलडलब्यलू के मु0न0 28/222 में प्रतिवादी के नाम से मात्र 50 बिस्वा भूमि में से 16 बिस्वा भूमि आती है। मु0नं0 28/266 कि0न0 10 ता 17/2.087 व मु0नं0 28/222 में 0.211 है0 कुल 2.298 है0 यानि 9 बीघा रकबा ही बनता है इसलिये उक्त भूमि को 3.225 है0 दर्शाने गैरकानूनी व रिकार्ड होने के कारण दावा खारिज योग्य है। ग्राम रामबाग की 20बीघा भूमि डार्क जोन में होने के काारण प्रतिवादी ने अपनी उक्त स्वअर्जित भूमि को बेचकर मेरे वादी पुत्र व मेरी पुत्री पार्वती की शादी में खर्च किये। मेरी पैतृक सम्पति 9 बीघा में से कुल 5 हिस्सेदार बनते है तथा प्रत्येक के हिस्सा में 36 बिस्वा यानि वादी व प्रतिवादी के पक्ष में कुल 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा ही हिस्से में आता है। मेरी स्वअर्जित भूमि वाके चक 5बीकेएम के प0न0 78/36 के कि0न0 1 ता 15 में 3.720 हैक्टर ही है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जावे।

प्रतिवादी 2 ता 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने के कारण जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की गई। साक्ष्यवादी में वादी दुर्गादत्त ने शपथपत्र प्रस्तुत किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये। योग्य अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद तथ्यों को दोहरातें हुए प्रतिवादी सं0 1 के पैतृक रकबा में हिस्सा घोषित करवाने एवं भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहे जारी करने हेतु निवेदन किया। बरवक्त बहस कानूनी नजीर आरआरटी 2014(2) पेज 965, आरआरटी 2012(1) पेज 350 व आरआरटी 2012()2 पेज 936 की ओर ध्यान दिलाया।

योग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि चक 44 एलएलडब्लयू की 2.298 हैक्टर भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का हिस्सा है। किन्तु चक 45 एलएलडब्लयू की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज नही है इस कारण वादीगण इस रकबा में हिस्सा मांगने के अधिकारी नही है। चक 5 बीकेएम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को स्वयं आवंटन है, जो पैतृक भूमि नही है, जिसमें वादीगण का कोई हिस्सा नही है। इसलिये वादीगण का वाद आधारहीन होने से निरस्त किया जावे।

वाद में कायम तनकीयात का वाद में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :—

तनकी सं.1—आया प्रतिवादी सं0 1 के नाम तहसील सादुलशहर के चक 44 एलएलडब्लयू खाता संख्या 18/57 मु0नं0 48 प0नं0 28/226 में 2.087 हैक्टर प0न0 28/222 की 0.211 कुल 2.298 हैक्टर भूमि एवं आया यह हिन्दू सहदायी सम्पति है? —वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2066—69 चक 44 एलएलडब्लयू खाता सं0 18/57 मु0नं0 48 प0नं0 28/226 में 2.087 हैक्टर नहरी एवं प0नं0 28/222(26) की 0.211 कुल 2.298 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 जगदीश पुत्र देवकरण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं.1 जगदीश ने अपने जवाब में भी इसे अस्वीकार नही किया है कि

यह भूमि पैतृक नही है एवं ना ही उन्होने साक्ष्य प्रस्तुत किये है। अतः तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं.2— आया तहसील पदमपुर चक 45 एलएलडब्लयू प0न0 30/226, 29/226, 29/227 की 3.225 है0 में 1/3 प्रतिवादी नं. 1 को हिन्दू सहदायी सम्पति प्राप्त हुई है? वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत चक 45 एलएलडब्लयू जमाबंदी सम्वत् 2065—68 खाता संख्या 53/55 प0नं0 30/226, 29/226, 29/2027 की 4.743 हैक्टर नहरी भूमि मेराम मुकनाराम पि. हरीकिशन कौम ब्राहमण सा0गणेशगढ़ 3.162 है0 लादूराम वल्द जगमाल 1.581 है0 कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने दावा में अंकन किया है कि "उक्त रकबा 4.743 है0 में से 3.225 है0 में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 को विरास्त प्राप्त हुई है। उक्त रकबा को घोषित करवाने के लिए सहायक कलक्टर पदमपुरा में एक वाद अनवान डुंगरराम वगैरहा बनाम तुलछाराम वगैरह पेश किया है। इससे स्पष्ट है कि चक 45एलएलडब्लयू की 1.518 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण का 2/5 हिस्सा बनता है।" उक्त रकबा वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज नही है। वादीगण ने जिस वाद का जिक किया है, जो कि सहायक कलक्टर पदमपुर के यहां विचाराधीन है उसमें प्रतिवादी सं.1 को हिस्सा प्राप्त होगा या नही वह उसी दावा में तय होगा। इसलिये उक्त तनकी वादीगण साबित नही कर पाने से उनके विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं.3— आया तहसील लूनकरनसर ग्राम रामबाग खसरा सं0 243/128 की 20.00 बीघा एवं 5 बी0के0एम0 की 3.720 है प्रतिवादी सं01 की सहदायी सम्पति है एवं वादी बतौर सहदायी सदस्य उक्त भूमि में 2/5 हक प्राप्त करने का हकदार है? —वादी

उक्त तनकी का सिद्ध करने भार वादीगण पर था। वादी ने ग्राम रामबाग की भूमि के संबंध में यह साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है कि उक्त भूमि पैतृक है। जिस कारण उक्त रकबा पैतृक साबित नही कर पाया है तथा चक 5बीकेएम की भूमि समस्त परिवार को आवंटन हुई है एवं सहदायी सम्पति होने के भी साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही करने से सहदायी सम्पति साबित नही कर पाया है। इसलिये उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं.4— आया वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कभी सारी भूमि सहदायी मानकर बंटवारा हुआ? —वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यब साबित हो कि उनके मध्य में कोई बंटवारा हुआ है एवं ना ही गवाहों के बयान करवायें है। इसलिये उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं.5— आया ग्राम रामबाग तहसील लूनकरणसर की 20.00बीघा एवं 5बीकेएम तहसील सूरतगढ़ की 15.00 बीघा भूमि मात्र प्रतिवादी नं.1 को आवंटित होने से यह सम्पति उसकी स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें वादी हक पाने का अधिकारी नही है? — प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पूर्व में इस तनकी का निर्णय तनकी सं.3 में किया जा चुका है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं.6— आया पैतृक भूमि में प्रतिवादी ने वादी को पहले हक प्रदान किया हुआ है? —प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि उसने वादीगण की शादी में रूपये लगाये है। हक पूर्व में दिये जा चुके है, इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नही किया है अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में आंशिक तय की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीशप्रसाद पुत्र श्री देवकरण के नाम अंकित चक 44 एलएलडब्लयू खाता सं0 18/57 मु0नं0 48 प0नं0 28/226 में 2.087 हैक्टर नहरी एवं प0नं0 28/222(26) की 0.211 कुल 2.298 हैक्टर भूमि में वादीगण को 2/5 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें। परचा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.01.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.दुर्गादत पुत्री जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर
2.पावर्ती पुत्री जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर

–वादीगण

बनाम

1.जगदीशप्रसाद पुत्र देवकरण जाति ब्राह्मण साकिन 5 बी0के0एम0 धोलिया तहसील सूरतगढ़
2.कालूराम पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर
3.ओमीदेवी पुत्री जगदीश जाति ब्राह्मण साकिन 44 एल.एल.डब्लयू. तह.सादुलशहर
4.तहसीलदार सूरतगढ़
5.तहसीलदार पदमपुर
6.तहसीलदार सादुलशहर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,188,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 61 वर्ष 2011 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री रामप्रताप तिवाड़ी व प्रतिवादीगण श्री राकेश सारस्वत व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीशप्रसाद पुत्र श्री देवकरण के नाम अंकित चक 44 एलएलडब्लयू खाता सं0 18/57 मु0नं0 48 प0नं0 28/226 में 2.087 हैक्टर नहरी एवं प0नं0 28/222(26) की 0.211 कुल 2.298 हैक्टर भूमि में वादीगण को 2/5 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

नोज.....ग.....मुबलिग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.01.20 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.07 16:37:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: